भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3542

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

कारपोरेट डाटा प्रबंधन

3542. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट डाटा प्रबंधन के लिए कोई तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न हितधारकों को सही और विश्वसनीय कारपोरेट डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कारपोरेट डाटा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु हाल ही के बजट में कोई प्रावधान किया है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): जी हां। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) नामक परियोजना शुरू की गई है।

(ख): कारपोरेट डाटा प्रबंधन परियोजना का लक्ष्य सांविधिक सूचना को किसी सांख्यिकी डाटा वेयर हाउस प्रणाली में परिवर्तित करके आगे एमसीए-21 डाटा संग्रहण से जोड़ना है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) व्यवस्थित तरीके से साझा करने योग्य कारपोरेट क्षेत्र सूचना का प्रसार, (ii) एमसीए और अन्य सरकारी विभागों के नीति निर्माण और नियामक प्रयोजनों के लिए विशेष सूचना साझा करना, और (iii) कारपोरेट डाटा विश्लेषण और सूचना प्रबंधन के लिए मंत्रालय की इन हाउस क्षमता को बढ़ाना और संस्थागत करना जिससे नीति विश्लेषण और निर्णय लेने में सुविधा हो।

(ग): डाटा प्रसार पोर्टल, सीडीएम परियोजना का ही एक भाग है जो विभिन्न हितधारकों को प्रमाणिक और विश्वसनीय कारपोरेट डाटा उपलब्ध कराता है।

(घ): वर्ष 2018-19 के दौरान सीडीएम परियोजना के लिए कुल 5.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

*****